


24/07/18

अभिलेख उपस्थापित।

देनदार द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा कर
दिया गया है। बैंक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार
बाद की वसूली कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखक


निलम पत्र पदाधिकारी
चाकुलिया।